विविध बैंक प्रकरण सं0 33/2016 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पी ब्लाक, श्रीगंगानगर बनाम 1–श्री विशाल मिढा पुत्र श्री फिरंगी लाल–ऋणी 2–श्रीमति उपासना मिढा पत्नि श्री विशाल मिढा ऋणी, निवासीगण सी–16, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.07.2016

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री राजेश अरोड़ा, मैनेजर सार्क, श्रीगंगानगर उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 05.07.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि श्री राजेश अरोड़ा, मैनेजर सार्क, श्रीगंगानगर का कथन था कि उनके द्धारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2016 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण श्री विशाल मिढ़ा एवं श्रीमति उपासना मिढ़ा निवासी सी–16, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 12,00,000/–रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) दिनांक 13.08.2013 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण श्री विशाल मिढा एव श्रीमति उपासना मिढा द्वारा अपनी अचल सम्पति प्लाट नं0 ए–18 कुंज विहार एक्सटेंशन, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 64 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणीयों का ऋण खाता को दिनांक 28.12.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणी के नाम दिनांक 05.01.2016 को कुल 12,45,423रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण ऋणीयों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.01. 2016 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान ऋणीयों द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणीयों श्री विशाल मिढ़ा एवं श्रीमति उपासना मिढ़ा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति प्लाट नं0 ए–18 कुंज विहार एक्सटेंशन, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 64 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0 पत्र को स्वीकार करने के संबंध में मुख्यतः दो बातो पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम, जिस सम्पति का बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्पति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में स्थित हो और द्वितीय, वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत संबंधित ऋणी/जमानतदार पर 60 दिवस में राशि जमा करवाने के संबंध में जारी नोटिस की तामील उन पर विधिवत रूप से हुई हो?

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
33/2016

मैने प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री विशाल मिढ़ा एवं श्रीमति उपासना मिढ़ा निवासी सी–16, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 12,00,000/–रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) दिनांक 13.08.2013 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण श्री विशाल मिढ़ा एवं श्रीमति उपासना मिढ़ा निवासी सी–16, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर द्वारा अपनी अचल सम्पति प्लाट नं0 ए–18 कुंज विहार एक्सटेंशन, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 64 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.12.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी. ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण श्री विशाल मिढ़ा पुत्र श्री फिरंगीलाल एवं श्रीमति उपासना मिढ़ा पत्नि श्री विशाल मिढ़ा को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.01.2016 डाक द्वारा भिजवाये गये।

इस न्यायालय में ऋणी श्रीमति उपासना मिढ़ा पत्नि श्री विशाल मिढ़ा सी–16 प्रेमनगर श्रीगंगानगर की ओर से एक प्रा0 पत्र दिनांक 22.06.2016 बाबत उसके पति श्री विशाल मिढ़ा की गुमशुदगी रिपोर्ट सं0 3/16 दिनांक 09.06.15 पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर की ओर से दर्ज शुदा की फोटो प्रति पेश की गयी।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पति प्लाट नं0 ए–18 कुंज विहार एक्सटेंशन, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 64 वर्गफुट का प्रश्न है वह संयुक्त रूप से श्री विशाल मिढ़ा पुत्र श्री फिरंगीलाल एवं श्रीमति उपासना मिढ़ा पत्नि श्री विशाल मिढ़ा के नाम से है जिसका 99 सालाना पटटा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.06.2012 का जारी शुदा है। इस प्रकार जिस सम्पति का बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.01.2016 की तामील का प्रश्न है। उक्त नोटिस बैंक द्वारा दिनांक 05.01.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का ऋणी श्री विशाल मिढ़ा पुत्र श्री फिरंगीलाल व श्रीमति उपासना मिढ़ा पत्नि श्री विशाल मिढ़ा के नाम से रजि0 एडी डाक से भिजवाये गये है परिणाम स्वरूप दोनो की प्राप्ति स्वीकृति **(रजि0 एडी)** रसीदो पर **उपासना के ही हस्ताक्षर** है। बैंक द्वारा प्रस्तुत भारतीय डाक विभाग की डाक सं0 आरआर7841933861एन **(विशाल मिढ़ा एसएल न0 671 दि0 06.01.17)** एवं आरआर784193491एन **(श्रीमति उपासना मिढ़ा रजि. एसएल न0 672 दिनांक 06.01.16)** जो कि 07.01.16 को वितरण हुए है जो कि एडी रसीदो के अनुसार दोनो ही **श्रीमति उपासना मिढ़ा** द्वारा प्राप्त किये गये है। जबकि श्रीमति उपासना मिढा द्वारा प्रा0 पत्र दिनांक 22.06.16 के साथ प्रस्तुत गुमशुदगी रिपोर्ट सं0 3/16 दिनांक 09.06.16 की फोटो प्रति के अनुसार उसका पति दिनांक **27.06.15** से अपनी व्यापारिक परेशानियों से तंग आकर कहीं चले गये है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
33/2016

इससे स्पष्ट है कि दिनांक 07.01.16 को जिस दिन विशाल मिढ़ा का धारा 13(2) का नोटिस उसकी पत्नि श्रीमति उपासना मिढ़ा द्वारा **अपने हस्ताक्षर कर** प्राप्त किया गया है उस दिन वह **लापता था** और इस तथ्य को श्रीमति **उपासना मिढ़ा** द्वारा न तो रजि0 एडी की प्राप्ति रसीद पर स्पष्ट किया है और न ही संबंधित बैंक को अवगत कराया है। ऐसी अवस्था में विशाल मिढ़ा के नोटिस की तामील को उसकी पत्नि श्रीमति उपासना मिढ़ा द्वारा स्वीकार करना विशाल मिढ़ा पर विधीसम्मत तामील होना नही माना जा सकता।

चूंकि इस मामले में श्रीमति उपासना मिढ़ा एवं श्री विशाल मिढ़ा संयुक्त रूप से दोनो ही ऋणी है और दोनो की ही ऋण चुकाने की जुम्मेवारी है और ऋण की सुरक्षा की एवज में बधंक रखी गयी सम्पति प्लाट नं0 ए–18 कुंज विहार एक्सटेंशन, पदमपुर रोड़ श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 64 वर्गफुट संयुक्त रूप से श्रीमति उपासना मिढा एवं श्री विशाल मिढा के नाम से है इसलिए दोनो ऋणीयों पर धारा 13(2) के अन्तर्गत बैंक द्वारा जारी 60 दिवस के नोटिस दिनांक 05.01.2016 की विधिवत तामील होनी आवश्यक थी। चूंकि बैंक द्वारा धारा 13(2) के जारी दोनो नोटिस दिनांक 05.01.16 श्रीमति उपासना मिढ़ा स्वयं के हस्ताक्षरो से प्राप्त किये है। इसलिए ऋणी श्रीमति उपासना मिढा का नोटिस उस पर विधिवत रूप से तामील हो चुका है और वह अपना ऋण चुकाने के लिए जुम्मेवार है।

चूंकि जैसा उपर विवेचन किया गया है कि ऋणी विशाल मिढा पुत्र फिरंगीलाल के नाम जारी धारा 13(2) नोटिस दिनांक 05.01.16 जो उसके दिनांक 27.06.15 से लापता होने के कारण उसकी पत्नि द्वारा दिनांक 07.01.16 को प्राप्त किया गया है और विशाल मिढ़ा के लापता होने के तथ्य को बैंक द्वारा अथवा उसकी पत्नि श्रीमति उपासना मिढा द्वारा बंधक रखी सम्पति के कब्जा प्राप्त करने संबंधी प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 14 को 22.03.16 को पेश करने तक भी उजागर नही किया गया है। इसलिए विशाल मिढ़ा ऋणी पर उक्त रूप से उसकी पत्नि द्वारा की गई नोटिस की तामील विधिवत रूप से होनी नही मानी जा सकती। **जबकि विशेषकर रूप से उसका पति श्री विशाल मिढ़ा (ऋणी) दिनांक 27.06.2015 से लापता है।** ऐसी अवस्था में नियमनुसार बैंक को विशाल मिढा की तामील के लिए उचित प्रयास करने चाहिए थे। चूंकि विशाल मिढ़ा भी बंधक रखी गयी सम्पति का संयुक्त रूप से मालिक है और वह दिनांक 27.06.2015 से लापता है और जब तक ज्ञात न हो तो उसे गुमशुदगी दिनांक से 7 वर्ष से पूर्व उसे मृत्तक भी नही माना जा सकता और वह इस अवधि में कभी भी प्रकट होकर अपना कलेम मांग सकता है। इसलिए उस पर भी धारा 13(2) के नोटिस की तामील विधिवत होनी आवश्यक है। ऐसी अवस्था में ऋणी श्री विशाल मिढ़ा की तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक रखी गयी सम्पति का कब्जा प्राप्त करने संबंधी प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 14 दिनांक 22.03.2016 खारिज करने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
33/2016

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 का **प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है** और प्रार्थी बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि ऋणी श्री विशाल मिढ़ा जो कि उक्त सम्पति का संयुक्त रूप से मालिक है और वह गुमशुदगी रिपोर्ट सं0 3/16 के अनुसार दिनांक 27.06.2015 से लापता है, पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी कर उसकी विधिवत उचित तरीके से व उचित प्रकिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर